भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1065
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

पीएम श्री योजना के लिए चयनित विद्यालय

†1065.**श्री एंटो एन्टोनी:**
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री तनुज पुनिया:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) के अंतर्गत चयनित प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) वर्तमान में राज्य-वार कितने विद्यालयों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है;
(ग) सरकार द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अवसंरचना और छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) इस योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत आवंटित और संवितरित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): पीएम श्री स्कूल, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों का नेतृत्व भी करना है।

चौथे चरण तक पीएम श्री योजना के अंतर्गत 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केविसं/नविस से कुल 12,084 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें 1329 प्राथमिक स्कूल, 3340 प्रारंभिक स्कूल, 2921 माध्यमिक स्कूल तथा 4494 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं। पीएम श्री योजना के

अंतर्गत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित विद्यालयों का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ग): पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, अवसंरचना और छात्र परिणामों को बढ़ाना है। लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम (एलईपी) जैसी गतिविधियों में कक्षा 6-12 तक के विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी शिक्षार्थी अपेक्षित योग्यता स्तर को पूरा करें। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नियमित शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत से छात्रों का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसे कार्यक्रम विज्ञान और गणित सर्कल्स के माध्यम से नवीन शिक्षण, प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और एसटीईएम शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए अनुभवात्मक दौरों को प्रोत्साहित करते हैं।

अवसंरचना संवर्धन हेतु, पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अटल टिंकरिंग लैब्स और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल अधिगम उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में सहायक हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण-अनुकूल "ग्रीन स्कूल्स" का निर्माण करते हैं।

पीएम श्री योजना, पीएम श्री स्कूलों में छात्रों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समग्र विकास पर केंद्रित है। पहलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, संसाधन व्यक्तियों और इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करना शामिल है, जो छात्रों को सेक्टर कौशल परिषदों से जोड़ता है। प्रकृति अध्ययन शिविर, ओलंपियाड और विद्यार्थियों के लिए अनुभवात्मक दौरे जैसी पाठ्येतर गतिविधियां अधिगम अनुभव को समृद्ध करती हैं। खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं, तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए योग/खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कैरियर परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, तथा विज्ञान और गणित अधिगम में सहायक गतिविधियां छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के साथ-साथ उनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ाती हैं।

(घ): पीएम श्री योजना के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्षवार आवंटित एवं वितरित निधि का विवरण **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्यगण श्री एंटो एन्टोनी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री तनुज पुनिया व श्री बैन्नी बेहनन द्वारा 'पीएम श्री योजना के लिए चयनित विद्यालय' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1065 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस में चयनित पीएम श्री विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय	प्रारंभिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	कुल विद्यालय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	8	11
2	आंध्र प्रदेश	35	27	658	135	855
3	अरुणाचल प्रदेश	13	38	32	8	91
4	असम	88	33	138	123	382
5	बिहार	16	284	190	314	804
6	चंडीगढ़	0	0	0	2	2
7	छत्तीसगढ़	190	3	10	138	341
8	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	1	4	1	0	6
9	गोवा	6	1	18	0	25
10	गुजरात	4	372	25	47	448
11	हिमाचल प्रदेश	56	0	5	119	180
12	हरियाणा	0	0	5	236	241
13	जम्मू और कश्मीर	2	105	215	74	396
14	झारखंड	14	105	135	85	339
15	कर्नाटक	13	391	68	6	478
16	लद्दाख	1	13	18	4	36
17	लक्षद्वीप	3	4	0	4	11
18	मध्य प्रदेश	15	112	236	330	693
19	महाराष्ट्र	207	468	110	42	827
20	मणिपुर	21	19	46	19	105
21	मेघालय	33	1	15	6	55
22	मिजोरम	28	1	0	1	30
23	नगालैंड	2	23	13	5	43
24	ओडिशा	0	24	368	58	450
25	पुडुचेरी	0	0	3	9	12
26	पंजाब	0	0	59	174	233
27	राजस्थान	16	123	18	482	639
28	सिक्किम	3	10	8	22	43
29	तेलंगाना	82	30	472	210	794
30	त्रिपुरा	4	20	28	32	84
31	उत्तराखंड	35	0	11	180	226
32	उत्तर प्रदेश	440	1128	1	141	1710
33	केंद्रीय विद्यालय संगठन	0	0	14	855	869
34	नवोदय विद्यालय समिति	0	0	0	625	625
	कुल	**1329**	**3340**	**2921**	**4494**	**12084**

*****

<u>अनुलग्नक-II</u>

माननीय संसद सदस्यगण श्री एंटो एन्टोनी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री तनुज पुनिया व श्री बैन्नी बेहनन द्वारा 'पीएम श्री योजना के लिए चयनित विद्यालय' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1065 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केविसं/नविस के नाम	वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित निधियां	वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय भाग	वित्त वर्ष 2023-24 में जारी निधियां	वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमोदित निधियां	वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय भाग	वित्त वर्ष 2024-25 में जारी निधियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.25	6.25	1.56	5.27	5.27	0
2	आंध्र प्रदेश	354.86	212.916	106.45	701.65	420.99	88.41
3	अरुणाचल प्रदेश	18.73	16.857	4.21	48.15	43.33	9.34
4	असम	127.47	114.723	57.35	296.28	266.65	62.6
5	बिहार	एनए	एनए	एनए	639.04	383.424	0
6	चंडीगढ़	0.73	0.73	0.64	1.77	1.77	0.4
7	छत्तीसगढ़	65.8	39.48	19.73	180.7	108.42	7.14
8	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	2.6	2.6	0.65	1.5	1.5	0
9	गोवा	6.19	3.714	3.25	15.24	9.144	1.54
10	गुजरात	109.79	65.874	32.93	145.84	87.50	18.07
11	हिमाचल प्रदेश	एनए	एनए	एनए	150.39	135.35	33.84
12	हरियाणा	85.27	51.162	25.58	199.01	119.40	27.36
13	जम्मू और कश्मीर	116.44	104.796	52.39	246.73	222.05	48.32
14	झारखंड	एनए	एनए	एनए	258.72	155.23	0
15	कर्नाटक	50.3	30.18	26.4	234.89	140.93	0
16	लद्दाख	8.09	8.09	4.04	23.86	23.86	0
17	लक्षद्वीप	4.36	4.36	1.09	4.12	4.12	0
18	मध्य प्रदेश	219.99	131.994	44.52	329.09	197.45	39.82
19	महाराष्ट्र	211.35	126.81	63.4	504.63	302.77	71.00
20	मणिपुर	39.19	35.271	17.63	81.79	73.611	20.46
21	मेघालय	9.55	8.595	4.29	30.94	27.84	4.8
22	मिजोरम	9.12	8.208	4.1	11.27	10.14	0
23	नागालैंड	4.34	3.906	0.97	14.36	12.92	0
24	पुडुचेरी	3.92	2.352	2.05	10.61	6.36	1.19
25	पंजाब	एनए	एनए	एनए	209.46	125.67	0
26	राजस्थान	163.95	98.37	24.59	366.76	220.05	59.37
27	सिक्किम	22.62	20.358	10.17	28.08	25.27	7.55
28	तेलंगाना	398.69	239.214	59.8	447.64	268.58	73.99
29	त्रिपुरा	26.24	23.616	11.8	46.2	41.58	8.11
30	उत्तराखंड	72.91	65.619	57.41	124.19	111.77	0
31	उत्तर प्रदेश	404.98	242.988	121.49	513.36	308.01	73.09
32	केंद्रीय विद्यालय संगठन	590.71	590.71	295.35	668.78	668.78	143.97
33	नवोदय विद्यालय समिति	260.73	260.73	162.73	567.23	567.23	113.81
	कुल	3395.16	2520.473	1216.57	7107.56	5097.05	914.18

*नोट: एन.ए.- राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया

*****